प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01145/2024-2025

दिनांक 09/09/2024

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/FAI/07408/2024-2025 पत्रावली संख्या:F-4857 दिनांक:1994-1995

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **DARSGAH E ISLAMI SOCIETY, MOHALLA MUGHALPURA POST FAIZABAD TEHSIL SADAR DISTRICT AYODHYA, अयोध्या, 224001** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 395/1994-95 दिनांक-22/08/1994 को दिनांक-22/08/2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है ।

1000 रुपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

Digitally Signed By
(LAXMI KANT)
A5E595EE5BDBF28BEE169EBD4DFA0A93ABC6F3D3
Date: 09/09/2024 2:40:29 PM, Location: Ayodhya.

जारी करने का दिनांक-09/09/2024

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य हैं। इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बद्ध व्यक्तिके किसी दावे , अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है। इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।

स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : दर्सगाह-ए-इस्लामी सोसाइटी ।
2. संस्था का पूरा पता : मुहल्ला मुगलपुरा, पो० फैजाबाद, तहसील सदर, जिला फैजाबाद (यू०पी०) ।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण फैजाबाद जनपद ।
4. संस्था का उद्देश्य :
   1. मुस्लिम छात्र/छात्राओं को ऐसी शिक्षा देना, जो उनमें सही दीनी बसीरत और स्प्रिट पैदा करे ।
   2. असरी उलूम मसलन, साइंस, भूगोल, गणित, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, हिन्दी, अंग्रेजी, अरबी, संस्कृत, उर्दू आदि के पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था करना ।
   3. मुस्लिम छात्र/छात्राओं को इस्लामी अखलाक व किरदार के जेवर से अरास्ता करना, ताकि वह अच्छे नागरिक बन सकें ।
   4. ऐसा नेसाबे तालीम जर अमल लाना जिसमें और असरी उलूम का समावेश हो ।
   5. छात्र/छात्राओं को उर्दू साहित्य से इस्तेफादह करने के योग्य बनाना ।
   6. यह स्कूल मुस्लिम छात्र/छात्राओं की तालीम व तरबियत नीज उनकी हमाजहती, तरक्की के लिए कायम किया गया है, परन्तु गैर मुस्लिम छात्र/छात्राओं के लिए भी इसका दरवाजा खुला रहेगा ।
   7. लाइब्रेरी और वाचनालय कायम करना ।
   8. उन संस्थाओं एवं समितियों से यथासम्भव सहयोग करना, जो देश की जनता के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए समर्पित हैं ।
   9. दर्सगाह-ए-इस्लामी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दान, अनुदान आदि से धन प्राप्त करना ।
   10. धर्म, जाति या लिंग के भेद-भाव के बिना फैजाबाद जनपद के दुर्बल वर्गों की प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा एवं ग्रामोद्योग, तकनीकी, अल्पसंख्यक विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं को कायम रखना तथा इनका संचालन करना ।

A. Ali

Syed Abdul ...

M. Jamil Ahmad

M. Mushtaq

S. Ahmad

सत्य प्रतिलिपि
25-8-94
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

प्रतिलिपि कर्ता 25/8/94

मिलान कर्ता 25/8/94

क्रमशः ... 2

5. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय, जिनको संस्था के इस स्मृति-पत्र तथा नियमों के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है:-

क्रमांक	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
	सर्व श्री			
1.	हाफिज रहमतउल्लाह पुत्र श्री शेख बकरीदी	नियाँवा, फैजाबाद	अध्यक्ष	व्यापार
2.	मोहम्मद अहमद पुत्र श्रीमोहम्मद बशीर	चौक, फैजाबाद	उपाध्यक्ष	व्यापार
3.	§डॉ0§ सैयद अब्दुल बारी पुत्र श्री अब्दुल वाली	अल्लाहदादपुर, टाँडा, फैजाबाद	प्रबन्धक	नौकरी
4.	अकील अहमद पुत्र मो0 बशीर	चौक एकदरा बाहर, फैजाबाद	सचिव	व्यापार
5.	मो0 जमील पुत्र मो0 बशीर	चौक एकदरा बाहर, फैजाबाद	ट्रेजरर	व्यापार
6.	मो0 मुस्ताक पुत्र मो0 इशहाक	वीरगंज, फैजाबाद	सदस्य	व्यापार
7.	अब्दुल हफीज पुत्र तफज्जुल हुसैन	मुगलपुरा, फैजाबाद	सदस्य	नौकरी
8.	मो0 जहीर पुत्र मो0 बख्श	बाँसमण्डी, लालबाग, फैजाबाद	सदस्य	व्यापार
9.	हाजी मुहम्मद इब्राहिम पुत्र मो0 शफी	नियाँवा, फैजाबाद	सदस्य	व्यापार
10.	श्री इखलाक अहमद पुत्र शाकिर अली	हैदरगंज, फैजाबाद	सदस्य	व्यापार
11.	मो0 बशीर पुत्र शेख बकरीदी	चौक एकदरा बाहर, फैजाबाद	सदस्य	व्यापार
12.	शकील अहमद पुत्र मो0 बशीर	चौक एकदरा बाहर, फैजाबाद	सदस्य x	व्यापार

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है ।

दिनांक : 15/8/94

हस्ताक्षर :

सत्य प्रतिलिपि
25-8-94
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

प्रतिलिपि कर्ता 25/8/94

मिलान कर्ता

नियमावली

1. संस्था का नाम : दर्सगाह-ए-इस्लामी सोसाइटी ।
2. संस्था का पूरा पता : मुहल्ला मुगलपुरा, पो0 फैजाबाद, तहसील सदर, जिला फैजाबाद (यू0पी0) ।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण फैजाबाद जनपद ।
4. संस्था का उद्देश्य : जैसा कि स्मृति-पत्र के विन्दु-4 में उल्लेख किया गया है।
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग:-

5. (अ) लाइफ मेम्बर:- इस समिति को एक मुश्त 5100/- रू0 देने वाला/वाली प्रबन्धकारिणी समिति के बहुमत की मंजूरी से इसका लाइफ मेम्बर बन सकता है ।

5. (ब) साधारण सदस्य:- समिति को 51/- रू0 सालाना मेम्बरशिप फीस देकर कोई भी व्यक्ति प्रबन्धकारिणी समिति के अध्यक्ष की अनुमति से इसका साधारण सदस्य बन सकता है । साधारण सभा के सभी सदस्य मुस्लिम होंगे ।

5. (स) संरक्षक:- दर्सगाह-ए-इस्लामी संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का अध्यक्ष इसका संरक्षक होगा ।

6. मेम्बरशिप की समाप्ति:-
   1. मृत्यु हो जाने पर ।
   2. पागल या दीवालिया हो जाने पर ।
   3. संस्था के प्रति हानिकर कार्य करने पर ।
   4. लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित होने पर ।
   5. अविश्वास प्रस्ताव पारित होने या त्याग-पत्र दे देने पर ।
   6. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

7. संस्था के अंग:- (अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी समिति ।

8. साधारण सभा:-

गठन:- संस्था के लाइफ मेम्बरों एवं संस्था द्वारा संचालित सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा होगा ।

बैठकें:- साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचित करके अध्यक्ष द्वारा बुलाई जा सकती है ।

सूचना अवधि:- साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व सदस्यों को सचिव द्वारा लिखित रूप से एजेण्डा सहित प्रस्तुत की जायेगी ।

गणपूर्ति:- साधारण सभा के कुल सदस्यों का एक तिहाई सदस्य गणपूर्ति मान्य होगी ।

क्रमशः ... 2

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स समितियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

सााधारण सभा के कर्तव्य/अधिकार:-

1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना ।
2. संस्था का वार्षिक बजट पारित करना ।
3. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पारित करना ।

9. प्रबन्धकारिणी समिति:-

गठन:- प्रबन्धकारिणी समिति में । अध्यक्ष, । उपाध्यक्ष, । प्रबन्धक, । सचिव, । ट्रेजरर एवं साधारण सभा के 7 सदस्य होंगे ।

बैठकें:- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकवर्ष में 3 बार, एवं विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को लिखित सूचना देकर अध्यक्ष द्वारा बुलायी जा सकती है ।

सूचना अवधि:- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक 3 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी ।

गणपूर्ति:- प्रबन्धकारिणी समिति के कुल सदस्यों का एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मानी जायेगी ।

रिक्त स्थानों की पूर्ति:- प्रबन्धकारिणी समिति में रिक्त स्थान की पूर्ति साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

10. प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य एवं अधिकार:-

§अ§ साधारण सभा के निर्देशानुसार प्रबन्धकारिणी समिति संस्था के प्रबन्ध की पूर्ण उत्तरदायी होगी और उसके लिए उसके पास आवश्यक अधिकार होंगे ।

§ब§ चन्दा एवं दान द्वारा संस्था के लिए दान एकत्र करना।

§स§ संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति पर ऋण प्राप्त करना एवं उसका भुगतान करना ।

§द§ संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना ।

§य§ संस्था के कार्यकलापों एवं कार्यक्रमों को पूर्ण करने के लिए नियम, उप नियम आदि बनाना तथा उसमें संशोधन करना ।

§र§ संस्था के लिए स्टाफ नियुक्त करना, उनके वेतन सम्बन्धी नियम बनाना, सेवा शर्तें निर्धारित करना तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना ।

§ल§ संस्था की हमाजेहती निगरानी करना ।

§व§ सालाना बजट को मंजूरी देना ।

§श§ प्रबन्धकारिणी समिति के किसी सदस्य के त्याग-पत्र पर गौर करना ।

सत्य प्रतिलिपि
25-8-94
सहायक निबन्धक
फर्म्स समितियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

प्रतिलिपि कर्ता 25/8/94
मिलान कर्ता 25/8/94

क्रमशः ... 3

कार्यकाल:- प्रबन्धकार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा ।

प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य:-

1. अध्यक्ष:-
1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों के लिये दिनांक का अनुमोदन करना, परिवर्तन करना और स्थगित करना । समान मत होने पर निर्णायक मत देना ।
3. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना ।
4. राजकीय सहायता एवं अनुदान प्राप्त करना ।

2. उपाध्यक्ष:-
1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करना एवं सहयोग करना।
2. अध्यक्ष के कार्यों में अध्यक्ष का सहयोग करना ।

3. प्रबन्धक:-
1. प्रबन्धक संस्था का मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी होगा और कार्यकारिणी समिति की सिफारिशों के अनुरूप कार्य करेगा । संस्था के अध्यक्ष को तमाम क्रिया-कलापों से समय समय पर सूचित रखेगा ।
2. संस्था की समस्त सम्पत्ति का संरक्षक होगा ।
3. संस्था के सामान्य व्यवस्था एवं प्रबन्ध की देख-रेख, कार्यकारिणी समिति के निर्देशों के अनुरूप करेगा एवं कोषाध्यक्ष की सहायता से समस्त आय-व्यय का लेखा रखेगा ।
4. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत धन प्राप्त कर आवश्यक कार्य हेतु वितरित करेगा ।
5. वह अपने पास 1000/- रू0 {एक हजार रूपए} धनराशि रोकड़ के रूप में सामयिक व्ययों के लिए रखेगा । अगली अग्रिम धनराशि पूर्व धनराशि का लेखा कोषाध्यक्ष को प्रस्तुत करने के पश्चात् ही मिल सकेगी ।
6. वह किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में दर्सगाह-ए-इस्लामी के नाम या यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के अन्तर्गत चलने वाले किसी अन्य संस्था विद्यालय आदि के नाम खाते खोलेगा, जो प्रबन्धक, तथा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा ।

4. सचिव:-
1. सचिव संस्था के अध्यक्ष के परामर्श से साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की समस्त बैठकों का संचालन करेगा एवं उसका लेखा रखेगा ।
2. अध्यक्ष के परामर्श से कार्यकारिणी समिति की ओर से पत्र-व्यवहार करेगा ।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटियों तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

3. प्रबन्धक की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के परामर्श से प्रबन्धके कार्य निस्तारित करेगा ।

4. संस्था की ओर से एवं उसके विरूद्ध समस्त अदालती कार्यवाही का संचालन करेगा ।

5. संस्था के प्रबन्धक के परामर्श से वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और साधारण सभा की स्वीकृति के लिए उसे साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करेगा ।

5. कोषाध्यक्ष §ट्रेजरर§:-

1. आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना ।
2. आय-व्यय का विवरण कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना ।
3. संस्था की सम्पत्ति को सुरक्षित रखना ।

11. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:- संस्था के नियमों व विनियमों में परिवर्तन, संशोधन आदि इस उद्देश्य से बुलायी गयी साधारण सभा की बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से होगा ।

12. संस्था का कोष:- संस्था के आमदनी के निम्नलिखित मद होंगे:-

1. एआनते , जकात, फितरा. उश्र आदि ।
2. संस्था द्वारा संचालित विद्यालय की तालीमी फीस आदि ।
3. अवकाफ ।
5. खरीदकरदा इम्लाक ।

13. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण:- संस्था के आय-व्यय का लेखा-परीक्षण आदि प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नित्य आडीटर करेगा ।

14. संस्था द्वारा अथवा उनके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:- संस्था द्वारा अथवा उनके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व सचिव पर होगा ।

15. संस्था के अभिलेख:- सदस्यता रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक लेजर रशीदें आदि ।

16. संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही:- यदि साधारण सभा के 2 तीन चौथाई सदस्य इस बात से सहमत हैं कि संस्था अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है तो वे संस्था का विघटन साधारण सभा की किसी उद्देश्य से बुलायी गयी बैठक में तीन चौथाई बहुमत से कर सकती है और विघटित सम्पत्ति संस्था के समान उद्देश्य रखने वाली संस्था समिति आदि को विघटित संस्था के समस्त ऋणों, बकायाजात आदि के भुगतान के पश्चात

क्रमशः ..5

सत्य प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स समितियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता
25/8/94

M.Mjumar M.Mjumar

शेष सम्पत्ति हस्तान्तरित कर दी जायेगी धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

17. अन्य विवरण:-

ताबीरेदस्तूर:- दस्तूर किीकिसी धारा, उप धारा की व्याख्या व तशरीह में मतभेद होने की सूरत में अध्यक्ष प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा की गयी व्याख्या प्रबन्धकारिणी समिति को मान्य होगी।

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक : 15-8-1994

हस्ताक्षर:

Aqeel Ali

सत्य प्रतिलिपि

25-8-94

सहायक निबन्धक
फर्म्स समितियों तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

प्रतिलिपि कर्ता 25/8/94

मिलान कर्ता 25/8/94

संशोधित स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम : दर्सगाह–ए–इस्लामी सोसाईटी

2. संस्था का पूरा पताः मुग़लपुरा तहसील सदर, थाना कोतवाली, नगर फ़ैज़ाबाद जिला अयोध्या

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4. संस्था के उद्देश्य : संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे। (बिन्दु 1 से 13 तक)

1. यह संस्था भारतीय संविधान की धारा 30(1) के अन्तर्गत अल्पसंख्यक संस्था होगी।
2. अल्पसंख्यक पूर्वप्राथमिक / प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, इण्टर कालेज, महाविद्यालय, लाइब्रेरी एवं वाचनालय आदि स्थापित करना एवं उनका संचालन करना जिनमें धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के भेद भाव के बिना समाज के सभी वर्गों की शिक्षा–दीक्षा का प्रबन्ध किया जाएगा।
3. आधुनिक विषयों जैसे साइंस, गणित, कम्प्यूटर, अर्थशास्त्र, हिन्दी, उर्दू , अंग्रेज़ी, अरबी, संस्कृत, आदि के पठन पाठन की व्यवस्था करना।
4. मुस्लिम छात्र / छात्राओं को इस्लामी एख़लाक व किरदार के ज़ेवर से आरास्ता करना, ताकि वह देश के अच्छे नागरिक बन सकें।
5. भारत / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के पठन–पाठन की व्यवस्था करना। साथ ही मुस्लिम छात्र–छात्राओं की दीनी शिक्षा की व्यवस्था करना।
6. यह संस्था मुस्लिम छात्र / छात्राओं की तालीम व तरबियत नीज़ उनके सर्वांगीण शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए स्थापित की गयी है, परन्तु बिना भेद भाव के सभी धर्म / जाति के छात्र–छात्राओं को इसमें प्रवेश दिया जायेगा।
7. समाज के दुर्बल वर्ग व आर्थिक रूप से पिछड़े निर्धन छात्रों की सहायता के लिए कोष स्थापित करना एवं उस कोष से उक्त छात्रों की शिक्षा, दीक्षा आदि पर आने वाले व्यय को वहन करने के लिये उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना।
8. उन संस्थाओं एवं समितियों से यथासम्भव सहयोग करना जो देश की जनता के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए समर्पित हैं।
9. धर्म, जाति या लिंग के भेद–भाव के बिना समाज के दुर्बल वर्गों की

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाईटी एवं चिट्स
अयोध्या (मण्डल)
30/06/21

Jail Ahmad
Irshad
Mohd. Mushtaq
Mohd. Ahmad
Ayub Ahmad

SECRETARY
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

PRESIDENT
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

MANAGER
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

क्रमशः—02

प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा का प्रबंध करना एवं ग्रामोद्योग, तकनीकी संस्थान, अल्पसंख्यक विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं को क़ायम करना तथा इनका प्रबन्ध एवं संचालन करना।

10. समाज के निर्धन छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना एवं अन्य समाजोपयोगी कार्य जैसे वृक्षारोपण, परिवार कल्याण, ऊसर भूमि सुधार, टीकाककरण, रक्त दान शिविर का आयोजन, अंगदान, निःशुल्क मेडिकल कैम्प का आयेजन, नेत्रदान आदि कार्य का सम्पादन, दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, भूकम्प, तूफ़ान, महामारी आदि एवं मानवीय आपदाओं जैसे दंगा आदि में प्रभावित लोगों में राहत व पुनर्वास के कार्य करना एवं उनके पुनर्वास आदि में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से यथासम्भव सहयोग करना। सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज, बाल–विवाह, महिलाओं एवं बालकों का सामाजिक, आर्थिक एवं लैंगिक शोषण (Sexual Abuse) आदि को समाप्त करने के लिए प्रयास करना एवं इनके उन्मूलन के लिए समाज में जागरूकता पैदा करना।

11. ग्रामोद्योग तकनीकी संस्थान, कम्प्यूटर संस्थान, रोज़गार परक पाठ्यक्रम (Vocational and Professional Courses) एवं शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र (Sports College) स्थापित करना एवं उनका प्रबन्ध व संचालन करना।

12. समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, नाबार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, यूनिसेफ़, इफको, सिफ़सा (SIFPSA), सैफ़ इण्डिया, विश्व बैंक, डूडा, सूडा, हेल्पऐज इण्डिया, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि सरकारी एवं ग़ैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं का प्रचार–प्रसार एवं संचालन करना।

13. सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिये ऐसी निःशुल्क शिक्षण संस्थाओं की स्थापना/व्यवस्था एवं संचालन करना जिसमें इन छात्रों को सभी प्रकार की प्रतियोगी/प्रवेश परीक्षा के लिये शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाये।

PRESIDENT
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

MANAGER
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

SECRETARY
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

5. दर्सगाह–ए–इस्लामी सोसाईटी की प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम पते, पद तथा व्यवसाय जिनकों इस संस्था के इस स्मृति–पत्र तथा नियमों के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है– वर्ष 2021–22

क्र.सं.	नाम / पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
01	मोहम्मद राशिद पुत्र श्री स्व. मोहम्मद अहमद	चौक इकदरा बाहर थाना कोतवाली नगर तहसील सदर फ़ैज़ाबाद 224001	अध्यक्ष	व्यापार
02	(डा0) मोहम्मद नईम पुत्र स्व. मोहम्मद इसहाक़	रीडगंज थाना कोतवाली नगर तहसील सदर फ़ैज़ाबाद 224001	उपाध्यक्ष	चिकित्सक
03	अक़ील अहमद पुत्र स्व. मोहम्मद बशीऱ	चौक इकदरा बाहर थाना कोतवाली नगर तहसील सदर फ़ैज़ाबाद 224001	प्रबंधक	व्यापार
04	मोहम्मद मुश्ताक़ पुत्र स्व. मोहम्मद इसहाक़	रीडगंज थाना कोतवाली नगर तहसील सदर फ़ैज़ाबाद 224001	सेक्रेटरी	व्यापार
05	जमील अहमद पुत्र स्व. मोहम्मद बशीऱ	चौक इकदरा बाहर थाना कोतवाली नगर तहसील सदर फ़ैज़ाबाद 224001	ट्रेज़रर	व्यापार
06	शकील अहमद पुत्र स्व. मोहम्मद बशीऱ	चौक इकदरा बाहर थाना कोतवाली नगर तहसील सदर फ़ैज़ाबाद 224001	सदस्य	व्यापार
07	इफ़तिख़ार आलम पुत्र स्व. मोहम्मद इब्राहीम	आर्यकन्या रोड थाना कोतवाली नगर तहसील सदर फ़ैज़ाबाद 224001	सदस्य	व्यापार
08	मोहम्मद अहमद पुत्र स्व. मोहम्मद ज़माँ	मुगलपुरा, थाना कोतवाली नगर तहसील सदर फ़ैज़ाबाद 224001	सदस्य	सेवानिवृत्त
09	आफ़ताब अहमद सिद्दीकी पुत्र स्व. मोहम्मद यहया	जमुनियाबाग़ थाना कोतवाली नगर तहसील सदर फ़ैज़ाबाद 224001	सदस्य	एडवोकेट
11	(डा0) तारिक़ सईद पुत्र स्व. सईद अहमद	101 मेडिसा रेज़िडेंसी HDFC Bank के सामने धौरी अलीगढ	सदस्य	प्रफ़ेसर
10	शराफ़त अली ख़ाँ पुत्र स्व. तअल्लुक दार ख़ां	खिड़की अलीबेग थाना कोतवाली नगर तहसील सदर फ़ैज़ाबाद 224001	सदस्य	एडवोकेट
12	(डा0) अब्दुल्लाह पुत्र शकील अहमद	चौक इकदरा बाहर थाना कोतवाली नगर तहसील सदर फ़ैज़ाबाद 224001	सदस्य	चिकित्सक

Mohd. Mushtaq
SECRETARY
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

Mohd Ahmad

MANAGER
DARSGAH E ISLAMI SOCIE
FAIZABAD-AYODHYA 2240

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : दर्सगाह–ए–इस्लामी सोसाईटी
2. संस्था का पूरा पता : मुग़लपुरा तहसील सदर, थाना कोतवाली, नगर फ़ैज़ाबाद जिला अयोध्या
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था के उद्देश्य : जैसा कि स्मृति–पत्र के बिन्दु–4 में उल्लिखित हैं।
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

5. (अ) लाइफ मेम्बर– इस समिति को एक मुश्त रु0 **30,000.00** देने वाला/वाली प्रबन्धकारिणी समिति के दो तिहाई बहुमत की मंजूरी से इसका लाइफ़ मेम्बर बन सकता/सकती है।

5. (ब) साधारण सदस्य–समिति को रु0**1000.00** (एक हज़ार रूपये)सालाना मेम्बरशिप फ़ीस देकर कोई भी व्यक्ति प्रबन्धकारिणी समिति के साधारण बहुमत की मंजूरी से इसका साधारण सदस्य बन सकता है।

5. (स) संरक्षक–संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का अध्यक्ष संस्था का संरक्षक भी होगा।

6. मेम्बरशिप की समाप्ति–
   1. मृत्यु हो जाने पर।
   2. पागल या दीवालिया करार दिए जाने पर।
   3. संस्था के प्रति हानिकर कार्य करने पर।
   4. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
   5. अविश्वास प्रस्ताव पारित होने या त्याग–पत्र दे देने व स्वीकार होजाने पर।
   6. नैतिक अपराध व वित्तीय अनियमित्ता में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
   7. सदस्यता शुल्क न अदा करने पर

7. संस्था के अंग– (अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी समिति।

8. साधारण सभा–

गठन–साधारण सभा का गठन संस्था के लाइफ मेम्बरों एवं साधारण सदस्यों द्वारा होगा। साधारण सभा में अधिकतम चौदह (14) सदस्य होंगे।

बैठकें–साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार व विशेष बैठक कभी भी

क्रमशः–2

SECRETARY
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

PRESIDENT
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

MANAGER
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाईटी एवं चिट्स
अयोध्या (उ0 प्र0)
30/06/21

आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचित करके अध्यक्ष द्वारा बुलायी जा सकती है।

सूचना अवधि–साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व सदस्यों को सचिव द्वारा लिखित रुप से एजेण्डा सहित प्रस्तुत की जायेगी।

गणपूर्ति– साधारण सभा के कुल सदस्यों के आधे सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

साधारण सभा के कर्तव्य/अधिकार–

1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट पारित करना।
3. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पारित करना।
4. सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन,परिवर्तन एवं परिवर्धन पारित करना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति–

गठन– साधारण सभा द्वारा निर्वाचित बारह (12) सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष एवं सात सदस्य होंगे। इस प्रकार कुल संख्या बारह (12) होगी,जो आवश्यकतानुसार कम व अधिक की जा सकती है परन्तु किसी भी दशा में न्यूनतम संख्या सात व अधिकतम तेरह तक ही की जा सकेगी।

बैठकें– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में तीन बार, एवं विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को लिखित सूचना देकर अध्यक्ष द्वारा बुलायी जा सकती है।

सूचना अवधि– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व सदस्यों को सचिव द्वारा लिखित रुप से एजेण्डा सहित प्रस्तुत की जायेगी।

गणपूर्ति–प्रबन्धकारिणी समिति के कुल सदस्यों में से आधे सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति माना जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति में रिक्त स्थान की पूर्ति साधारण

क्रमशः—3

PRESIDENT
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

MANAGER
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

SECRETARY
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

सभा की इसी आशय से बुलाई गई बैठक के साधारण बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

10. प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य एवं अधिकार–

(अ) साधारण सभा के निर्देशानुसार प्रबन्धकारिणी समिति संस्था के प्रबन्धन की पूर्ण उत्तरदायी होगी और उसके लिए उसके पास आवश्यक अधिकार होंगे।

(ब) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समग्र प्रयास करना।

(स) संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति पर ऋण प्राप्ति एवं उसके भुगतान का अनुमोदन करना।

(द) संस्था के कार्यकलापों एवं कार्यक्रमों को पूर्ण करने के लिए नियम, उप नियम आदि बनाना तथा उसमें संशोधन करना।

(य) संस्था एवं इसके अन्तर्गत समस्त विद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं आदि के लिए स्टाफ़ की नियुक्ति, उनके वेतन सम्बन्धी नियम बनाना, सेवा शर्तें आदि निर्धारित करना तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का अनुमोदन करना।

(र) संस्था की हमाजेहती निगरानी करना।

(ल) सालाना बजट को मंजूरी देना।

(व) प्रबन्धकारिणी समिति के किसी सदस्य के त्याग-पत्र पर ग़ौर करना व उस पर निर्णय लेना।

कार्यकाल– प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य–

1. अध्यक्ष– President
   1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
   2. बैठकों के लिए दिनांक का अनुमोदन करना, परिवर्तन करना और स्थगित करना। समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
   3. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।

2. उपाध्यक्ष– Vice President
   1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त कार्य एवं अधिकारों का निर्वहन करना।
   2. अध्यक्ष के कार्यों में अध्यक्ष का सहयोग करना।

3. प्रबन्धक– Manager
   1. प्रबन्धक संस्था का मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी होगा

क्रमशः–4

PRESIDENT
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

SECRETARY
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

MANAGER
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

20/06/21

और कार्यकारिणी समिति की सिफारिशों के अनुरुप कार्य करेगा।

संस्था के अध्यक्ष को तमाम क्रिया–कलापों से समय–समय पर सूचित रखेगा।

2. संस्था के सामान्य व्यवस्था एवं प्रबन्ध की देख–रेख, कार्यकारिणी समिति के निर्देशों के अनुरुप करेगा एवं कोषाध्यक्ष की सहायता से समस्त आय–व्यय का लेखा रखेगा।

3. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत धन प्राप्त कर आवश्यक कार्य हेतु वितरित करेगा।

4. जनता से चन्दा, राजकीय सहायता, अनुदान, ऋण आदि प्राप्त करना।

5. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति व वेतन वृद्धि करना।

6. समस्त बिलों, वाउचरों, अनुबन्ध–पत्रों, संविदाओं, आहरणपत्रों, नियुक्ति पत्रों पर हस्ताक्षर करना।

7. संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना व उस पर नियन्त्रण रखना।

8. संस्था की ओर से समस्त अदालती/विधिक कार्यवाही करना अथवा इसके लिये पैरोकार नियुक्त/नामित करना।

9. संस्था की ओर से समस्त चल अचल सम्पत्ति की ख़रीद करना व उसका संस्था के हित व उद्देश्य की पूति में प्रयोग करना।

10. संस्था के अंतर्गत चलने वाले किसी विद्यालय, शैक्षणिक संस्थान आदि के नाम खाता खोलने तथा उसका संयुक्त रूप से अपने हस्ताक्षर एवं प्रबंधकारिणी समिति की इसी आशय से बुलाई गई बैठक में बहुमत द्वारा अधीकृत एक अन्य व्यक्ति जो सामान्यतः उस संस्था का प्रधानाचार्य होगा के हस्ताक्षर से संचालन करने का अधिकारी होगा।

11. किसी भी सरकारी/राष्ट्रीकृत बैंक या वित्तीय संस्था/निगम आदि से सोसाईटी के लिये अथवा उसके अन्तर्गत चलने वाले किसी शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान/विद्यालय आदि के विकास /निर्माण आदि के लिये ऋण प्राप्त करना, उसका भुगतान संस्था के स्रोतों से करना, ऋण प्राप्ति के लिये संस्था की अचल सम्पत्ति/भूमि आदि को बंधक रखना।

12. प्रबंधक के नीतिगत एवं महत्वपूर्ण फ़ैसलों /कार्यों/अधिकारो के प्रयोग जो संस्था के हित को प्रभावित करने वाली हों, का प्रबंधकारिणी सभा के बहुमत से अनुमोदन आवश्यक होगा।

PRESIDENT
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

क्रमशः–5

SECRETARY
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

MANAGER
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

सचिव–
Secretary

1. सचिव संस्था के अध्यक्ष के परामर्श से साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की समस्त बैठकों का संचालन करेगा एवं उसका लेखा रखेगा।

2. अध्यक्ष के परामर्श से प्रबन्ध कारिणी समिति की ओर से पत्र–व्यवहार करेगा।

3. प्रबन्धक की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के परामर्श से प्रबन्धक के कार्य निस्तारित करेगा।

4. संस्था के प्रबन्धक के परामर्श से वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और साधरण सभा की स्वीकृति के लिए उसे साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करेगा।

कोषाध्यक्ष –
Treasurer

1. आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना।
2. आय–व्यय का विवरण प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
3. संस्था की सम्पत्ति को सुरक्षित रखना।

11. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया–

संस्था के नियमों व विनियमों में परिवर्तन, संशोधन आदि इसी उद्देश्य से बुलायी गयी साधारण सभा की बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत एवं सोसाईटी अधिनियम 1860 की धारा 12 की प्रक्रियानुसार किया जायेगा।

12. संस्था का कोष – 1. संस्था की आमदनी के निम्नलिखित मद्दात होंगी–

(अ) संस्था के सदस्यों की सदस्यता शुल्क।
(ब) संस्था के लिए वक़्फ़ की गई सम्पत्ति एवं ख़रीदकरदा इम्लाक आदि।
(स) जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए चन्दे (डोनेशन), ज़कात, फ़ितरा, उश्र आदि।
(द) सरकार द्वारा या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्राप्त दान, अनुदान, ऋण आदि।
(य) बैंक में जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज यदि कोई हो तो आदि।
(र) सोसाईटी द्वारा संचालित संस्थाओं की शिक्षण व अन्य शुल्क आदि।

क्रमशः–6

PRESIDENT
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

MANAGER
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

SECRETARY
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

सत्य प्रतिलिपि

2. संस्था का समस्त कोष किसी राष्ट्रीकृत बैंक में संयुक्त खाता खोल कर रखा जाएगा जिसका संचालन संयुकत रूप सें प्रबन्धक तथा सचिव या कोषाध्यक्ष में से किसी एक जिसे प्रबन्धकारिणी समिति की इसी आशय से बुलाई गई बैठक में सदस्यों के बहुमत से अधिकृत किया गया हो, द्वारा किया जायेगा।

13. संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण–

संस्था के आय–व्यय का लेखा–परीक्षण आदि प्रबन्धकारणी समिति द्वारा नियुक्त मान्यता प्राप्त आडीटर करेगा।

14. संस्था द्वारा अथवा उनके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व–

संस्था द्वारा अथवा उनके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबंधक पर होगा।

15. संस्था के अभिलेख– सदस्यता रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैश बुक, लेजर, रसीदें आदि।

16. दर्सगाह –ए–इस्लामी सोसाईटी के तहत गठित संस्था अपरिवर्तनीय है।

17. यह संस्था एक ग़ैर लाभकारी संस्था है तथा संस्था के कोष एवं संस्था की चल/अचल सम्पत्ति का उपयोग किसी व्यक्ति विशेष या समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों को किसी भी प्रकार से उनके हित लाभ पहुँचाने के लिये नहीं किया जायेगा। संस्था का मात्र उद्देश्य अपने कार्यों **activities** द्वारा जनसाधारण का सामाजिक **(social)**, मानसिक **(mental)**, नैतिक **(moral)**, चारित्रिक **(character building)**, शैक्षिक **(educational)**, बौद्धिक **(intellectual)** एवं अध्यात्मिक **(spiritual)** विकास करना है।

18. यह संस्था अपरिवर्तनीय **(irrevocable)** है। किसी भी समय यदि संस्था को भंग किया जाता है तो उस स्थिति में संस्था की सम्पत्ति किसी भी सदस्य/सदस्यों एवं पदाधिकारियों को देय नहीं होगी। तथा संस्था की सम्पत्ति के संस्था के दायित्व पूर्ण करने के पश्चात शेष सम्पत्ति किसी अन्य संस्था को स्थानान्तरित की जा सकेगी, जिसके उद्देश्य एवं क्रिया–कलाप इस संस्था के समान हों।

विघटन एंव विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

19. संस्था के कोष एवं संस्था की चल/अचल सम्पत्ति का उपयोग मात्र संस्था के

क्रमशः–7

PRESIDENT
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

SECRETARY
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

MANAGER
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जायेगा।

20. संस्था के उद्देश्यों अथवा नियमों में संशोधन सोसाईटी अधिनियम 1860 की धारा 12 की प्रक्रियानुसार किये जायेंगे।

21.संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही– यदि साधारण सभा के दो तिहाई सदस्य इस बात से सहमत हों कि संस्था अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है तो वे संस्था का विघटन साधारण सभा की इसी उद्देश्य से बुलायी गयी बैठक में तीन चौथाई बहुमत से कर सकते हैं और विघटित सम्पत्ति, संस्था अपने समान उद्देश्य रखने वाली किसी अन्य संस्था, समिति आदि को विघटित संस्था के समस्त ऋणों, बकायाजात आदि के भुगतान के पश्चात् शेष सम्पत्ति सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर देगी। इस दशा में संस्था के अधीन चलने वाले समस्त विद्यालय/शिक्षण संस्थान/अन्य संस्थान मय अपने समस्त अभिलेखों/रिकर्ड आदि के स्वतः हस्तान्तरित संस्था के अधीन हो जायेंगे।

26 मई 2021

सत्य प्रतिलिपि

सत्य प्रति

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाईटी एवं चिट्स
30/06/21

MANAGER
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

SECRETARY
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001

PRESIDENT
DARSGAH E ISLAMI SOCIETY
FAIZABAD-AYODHYA 224001